भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1235
दिनांक 03 दिसंबर, 2024/ 12 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान एवं पुनर्वास का आंकलन

†**1235. श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में विशेषकर हावेरी/गदग जिलों में हाल ही में आई बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने हावेरी/गदग में प्रभावित क्षेत्रों को कोई तत्काल राहत अथवा पुनर्वास सहायता प्रदान की है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भविष्य में बाढ़ से होने वाली इसी प्रकार की क्षति को रोकने के लिए किन्ही उपायों की योजना बनाई गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, नुकसान का आकलन करने और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास रखे गए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1235, दिनांक 03.12.2024

वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए। कर्नाटक में हाल ही में आई बाढ़ से, विशेषकर हावेरी/गडग जिलों में हुई क्षति के संबंध में अतिरिक्त सहायता मांगने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कर्नाटक राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 976.00 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में 732 करोड़ रुपये + राज्य शेयर के रूप में 244 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से केंद्रीय हिस्से की 366.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ से जारी की गई है। इसके अलावा, 2023 की सूखा राहत सहायता के लिए 2024-25 के दौरान एनडीआरएफ से कर्नाटक को 3454.22 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है। इस प्रकार, बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं के प्रबंधन के लिए उनके एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ 2026 तक आगे बढ़ाया गया। एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने कर्नाटक सहित पूरे देश में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया है और 340 स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। स्तर के पूर्वानुमान उपयोगकर्ता एजेंसियों को लोगों को निकालने और लोगों और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने जैसे शमन उपायों को तय करने में मदद करते हैं। बाढ़ के सुरक्षित मार्ग के लिए जलाशयों के इष्टतम संचालन में विभिन्न बांध प्राधिकरणों द्वारा अंतर्वाह पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है और साथ ही गैर-मानसून अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाता है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1235, दिनांक 03.12.2024

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसमें 275.00 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय, जिसमें 238.72 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है, ताकि बेंगलुरु शहर में शहरी बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए परियोजनाएं/ गतिविधियां शुरू की जा सकें। इसके अलावा, सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए एसडीएमएफ के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को 1164.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़ सहित शमन गतिविधियां कर सकती है।

******